प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 964 सन 2021
अनवान :–

1. गिनी देवी पुत्री छतुराम जाति नायक निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. अर्जनराम पुत्र छतुराम जाति नायक निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88
उपस्थित : श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज
निर्णय दिनांक :– 18.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 20/20 के खसरा न0 310/3.0350हैक खसरा न0 311/6.2980हैक कुल 9.3330हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया के भाई प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादीया के पिता छतुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के छतुराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया के भाई प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वादीया के भाई प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीया की शादी के समय परिवारिक सदस्यों के समक्ष वाद भूमि वादीया को दान स्वरूप दी जाकर प्रतिवादी संख्याा 1 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीया के पक्ष में किया गया था तब से वादीया वाद भूमि को कश्त कर अपना पालन पोषण कर रही है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीया के पक्ष में त्याग की गई भूमि वादीया के नाम दर्ज नही है जिसे वादीया अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादीया के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का भाई है के नाम से दर्ज भूमि को वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासन गांव के संग अभियान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादीया के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उसके (प्रतिवादी संख्या 1) के नाम से दर्ज है को प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी बहन वादीया की शादी के समय मजमे आम परिवारिक सदस्यों समक्ष वादीया के भरण पोषण हेतु वादीया के पक्ष में दान /त्याग किया हुआ है जो वादीया के कब्जा काश्त में है जिसे वादीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा भी पेश किया जो शामिल मिसल किया मजमे आम कें द्वारा वाद भूमि वादीया को प्रतिवादी संख्या 1 ने दान/त्याग शादी के समय किया जाना स्वीकार किया गया है।एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/मजमे आम की जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 20/20 के खसरा न0 310/3.0350हैक खसरा न0 311/6.2980हैक कुल 9.3330हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया के भाई प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वादीया का कथन है कि वाद भूमि जो उसके भाई प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वादीया के भाई प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद भूमि वादीया को शादी के समय दान/त्याग वादीया के पक्ष में किया हुआ है वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है वादीया के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उसके (प्रतिवादी संख्या 1) के नाम से दर्ज है को प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी बहन वादीया की शादी के समय मजमे आम परिवारिक सदस्यों समक्ष वादीया के भरण पोषण हेतु वादीया के पक्ष में दान /त्याग किया हुआ है जो वादीया के कब्जा काश्त में है जिसे वादीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा भी पेश किया जो शामिल मिसल है तथा मजमे आम में भी मौजीज व्यक्तियों के द्वारा वाद भूमि प्रतिवादी सख्या 1 ने वादीया को शादी में दिया जाना स्वीकार किया गया है।

वादीया के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत मजमे आम में ली गई जानकारी एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 20/20 के खसरा न0 310/3.0350हैक खसरा न0 311/6.2980हैक कुल 9.3330हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया के भाई प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है। का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट –फेफाना

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. गिनी देवी पुत्री छतुराम जाति नायक निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 अर्जनराम पुत्र छतुराम जाति नायक निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 964 सन 2021 निर्णय दिनांक– 18.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अंभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाऊ के खाता संख्या 20/20 के खसरा न0 310/3.0350हैक खसरा न0 311/6.2980हैक कुल 9.3330हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया के भाई प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है। का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.10.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट– फेफाना

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner